

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
higher-education@c.g.gov.in

क्रमांक एफ 17-07/2020/38-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

/08/2020

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
(छ0ग0)

विषय :- सांदीपनी एकेडमी एलआईजी-11-148, सेक्टर-02, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर
छ.ग. द्वारा सांदीपनी एकेडमी, बिलासपुर- शिवरीनारायण रोड, पेन्ड्री(मस्तुरी),
बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग. को नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु जारी अनुमति
पत्र में पुनः विचार के संबंध में।

संदर्भ :- 1. विभागीय आदेश समसंख्यक दिनांक 14.07.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सांदीपनी एकेडमी, बिलासपुर- शिवरीनारायण
रोड, पेन्ड्री(मस्तुरी), बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग. को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से बी.ए. (आ.पा.,
इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति)-60 सीट, बी.एस.सी.(गणित)-30 सीट एवं बी.एस.सी. (बायो)-30 सीट
के साथ नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2/ उक्त आदेश में संशोधन करते हुए बी.ए. (आ.पा., इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति)-60
सीट, बी.एस.सी.(गणित)-60 सीट एवं बी.एस.सी. (बायो)-60 सीट एवं पीजीडीसीए-60 सीट पढ़ा जाए।
(माननीय मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित)

-3d-
(रविन्द्र कुमार मेढेकर)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

11/08/2020

पृ. क्रमांक एफ 17-07/2020/38-2
प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उ. शि. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
02. निज सचिव, सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
03. कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी, विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. अध्यक्ष, सांदीपनी एकेडमी एलआईजी-11-148, सेक्टर-02, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
05. आदेश फोल्डर.....।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)



पुराना राईकोट भाग, बिलासपुर (छ.ग.)-495001
 फोन : 07762-220031, फैक्स 07762-200294, ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in
 वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 360/अका/2020

बिलासपुर, दिनांक 20/8/2020

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर सादीपनी एकेडमी, बिलासपुर-धिवरीनारायण रोड पेण्ड्री(मस्तुरी), बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग. को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नीचे उल्लेखित नवीन विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.ए. भाग-प्रथम(आ.पा., इतिहास, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र)	60
02	बी.एस.सी. भाग-प्रथम(बायो)	60
03	बी.एस.सी. भाग-प्रथम(गणित)	60
04	पीजीडीसीए	60

निर्धारित शर्तें:-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का शीघ्र पालन किया जाये।
2. अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि कम से कम 05 एकड़ महाविद्यालय के नाम से होनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जाये।
4. नवन निधि के रूप में राशि जमा कर विश्वविद्यालय को अवगत कराते हुये इंडोमेंटफंड में भी नियमित रूप से राशि तीन माह के अंदर जमा करने की कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।
5. उ.ग.अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम-2007 का पालन किया जाये।
6. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 में निर्धारित प्रावधानों एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. अध्यापनरत/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम अर्हतायें वही होगी जो विश्वविद्यालय/शासन/विश्वविद्यालय अनुदानआयोग/केन्द्रीय अभिकरण(यथा-ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई./पी.सी.आई./सी.सी.एच./वी.सी.आई.... इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।
8. परिनियम-28 के तहत प्राचार्य सहित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति शीघ्र की जाये एवं वेतन भूगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
9. प्रत्येक संबंधित विषय(गणित,भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र,वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं समाज शास्त्र) की दस-दस हजार की किताबें क्रय की जाये।

10. गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जन्तुविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय के लिये प्रत्येक में एक-एक शिक्षको की नियुक्ति परिनियम-28 में की जाये।
11. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं जन्तुविज्ञान प्रत्येक विषय में 15000 रु. के उपकरण सामग्री एवं कम्प्यूटर में 20,000 रु. की सामग्री का क्रय कर प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित किया जाये।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों को पूर्ति कर, पालन प्रतिवेदन 31 सितम्बर 2020 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थाई सबद्धता आगामी सत्र से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,

 20/8/20

कुलसचिव

विलासपुर, दिनांक 20/8/2020

पृ. क्रमांक 361 / अका. / 2020
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य सांदीपनी एकेडमी, विलासपुर-शिदरीनारायण रोड, पेण्डी (मस्तुरी), विलासपुर, जिला- विलासपुर छ.ग., जिला-विलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



सहायक कुलसचिव (अका.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
फोन - 0771.2636413, फैक्स - 0771.2263412
(Email - che-higheredu.cg@gov.in, www.highereducation.cg.gov.in)

क्र. २८२//136/आउशि/अ.शै.प्र./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०४/०६/2021

प्रति,

प्राचार्य,
सांदीपनी एकेडमी,
पेंड्री (मस्तुरी), जॉजगीर रोड,
बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।

विषय:- सत्र 2021-22 से बी.एस.सी.(गणित), बी.एस.सी.(बायो), एवं बी.ए. (आ.पा.,
इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) द्वितीय वर्ष की अनुमति बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र. एस.ए./हायर ऐजु./1525 दिनांक 24/03/2021

—00—

छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) 2006 एवं 2007 के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से बी.एस.सी.(गणित), बी.एस.सी.(बायो), एवं बी.ए. (आ.पा., इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) द्वितीय वर्ष की कक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की तत्काल नियुक्ति की जावे।
2. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन सुनिश्चित हो।
3. महाविद्यालय में नियुक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों को यू.जी.सी. वेतनमान अनुसार नियमित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें।
4. छात्रों की संख्या के अनुपात में पुस्तकें क्रय किया जावे।
5. कायिक निधि की शेष राशि तत्काल जमा किया जावे।

उपरोक्त शर्तों के पालन के संबंध में पालन प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध करावे।

अपर संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. डी.एस.जगत)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

क्र. २८२//136/आउशि/अ.शै.प्र./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दि. ०४/०६/२०२१

प्रतिलिपि :-

संबंधित महाविद्यालय की मूल फाइल।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

पुराना आईकोर्ट गगन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-200204, ई-मेल : reglar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 744/अका./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/09/2021

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर सांदीपनी एकेडमी, बिलासपुर-शिवरीनारायण-रोड़, पेन्ड्री (मस्तुरी) जिला बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नीचे उल्लेखित विषय/पाठ्यक्रम हेतु अस्थाई संबद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.ए. भाग-दो (आ.पा., इतिहास, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र)	60
02	बी.एस.सी. भाग-दो (विज्ञान समुह)	60
03	बी.एस.सी. भाग-दो (गणित समुह)	60

निर्धारित शर्तें:-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का शीघ्र पालन किया जाये।
 2. अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि कम से कम 05 एकड़ महाविद्यालय के नाम से होनी चाहिए।
 3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
 4. छ.ग.अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम-2007 का पालन किया जाये।
 5. पूर्व में शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई समस्त शर्तों का पालन किया जाए।
 6. परिनियम-28 में शिक्षकों की नियुक्ति एवं अद्यतन पुस्तकें/उपकरण वर्तमान सत्रांतर्गत पूर्ण किया जाये।
 7. महाविद्यालय में नियुक्त स्टाफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए।
 8. शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त सम्बद्धता संबंधी शर्तों को समय-सीमा में पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर, पालन प्रतिवेदन 30 अक्टूबर 2021 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में अस्थाई संबद्धता आगामी सत्र से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 30/09/2021

पृ. क्रमांक 745/अका./2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, सांदीपनी एकेडमी, बिलासपुर-शिवरीनारायण-रोड़, पेन्ड्री (मस्तुरी) जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहा. कुलसचिव(अका.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
फोन - 0771.2263113, फेक्स - 0771.2263112
(Email - che-higheredu.cg@gov.in, www.highereducation.cg.gov.in)

क्र. 288/458/आउशि/अ.शे.प्र./2022 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/06/2022

प्रति,

प्रचार्य,
सादीपती एकेडमी,
पेन्ड्री, मस्तुरी,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय- सत्र 2022-23 से बी.ए.(आपा), इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति), बी.एस.सी.(गणित), बी.एस.सी.(बायो) तृतीय वर्ष की अनुमति वास्तु।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 1347/2022, दिनांक 15.06.2022।

-00-

छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) 2006 एवं 2007 के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से बी.ए.(आपा, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति), बी.एस.सी.(गणित), बी.एस.सी.(बायो) तृतीय वर्ष की कक्षा प्रारंभ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है -

1. परिनियम 28 के अन्तर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की तत्काल नियुक्ति की जावे।
2. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन सुनिश्चित होना।
3. महाविद्यालय में नियुक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान में नियमित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे।
4. छात्रों की संख्या के अनुपात में पुस्तकें क्रय किया जावे।

उपरोक्त शर्तों के पालन के समर्थ में पालन प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध करावे।
(अपर संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(जा. जी.एस. जगत)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. /458/आउशि/अ.शे.प्र./2022 नया रायपुर अटल नगर दि. / /2022

प्रतिलिपि -

1. कुलसचिव, अटल विद्यार्थी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित महाविद्यालय की मूल फाईल।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, कोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495009

ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in, वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 1193 / अका. / 2022

बिलासपुर, दिनांक 30/12/2022

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर सांदीपनी एकेडमी, बिलासपुर-शिवरीनारायण रोड़, पेण्डी (मस्तुरी), जिला-बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निम्न विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.ए-भाग- अंतिम (आ.पा., इतिहास, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र)	60
02	बी.एस.सी-भाग-अंतिम (बायो. समूह)	60
03	बी.एस.सी-भाग-अंतिम (गणित समूह)	60

निर्धारित शर्तें:-

- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जावे।
- छ.ग.अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम-2007 का पालन किया जाये।
- महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 में निर्धारित प्रावधानों एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- परिनियम-28 के अंतर्गत उपरोक्तानुसार प्रत्येक विषय में धारा-28 के अंतर्गत 01-01 शिक्षको की नियुक्ति यथा शीघ्र की जाये।
- विषय के अनुरूप और पुस्तक कय की जाये।
- प्रयोगशाला हेतु और प्रायोगिक सामग्री कय की जाये।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर, अभिलेखों सहित पालन प्रतिवेदन 30 जनवरी 2023 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई संबद्धता पर आगामी सत्र से पुर्नविचार किया जा सकता है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 30/12/2022

पृ.क्रमांक 1194 / अका. / 2022

प्रतिलिपि:-

- कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्राचार्य, सांदीपनी एकेडमी, बिलासपुर-शिवरीनारायण रोड़, पेण्डी (मस्तुरी), जिला-बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप-कुलसचिव (अका.)



ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA BILASPUR (C.G.)



In Front of Koni Police Station, Ratanpur Road, Bilaspur (C.G.)
Website : www.bilaspuruniversity.ac.in. E-mail.: registrar@bilaspuruniversity.ac.in,

No. 408 /Acad./2024

Bilaspur, Date : 17-12-24

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that “Sandipani Academy, Bilaspur- Shivrinarayan Road, Pendri (Masturi), Dist-Bilaspur(C.G.)” is affiliated to ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA BILASPUR (C.G.) and following Courses / Subjects are being taught in the said College as per approval :-

S.No.	Name of the Course	COMBINATION	PRESENT INTAKE	Affiliation Permanent / Temporary	Period of Validity for the year(s)
1	B.A. - I,II,III	F.C., History, Pol.Science, Sociology	60	Temporary	2023-24 To 2024-25
2	B.Sc. I,II,III	Bio	60	Temporary	2023-24 To 2024-25
3	B.Sc. I,II,III	Maths	60	Temporary	2023-24 To 2024-25
4	P.G.D.C.A	All Compulsory Subject	60	Temporary	2023-24 To 2024-25

REGISTRAR
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA
BILASPUR (C.G.)

